ग्राम
हेतु

प्रपत्र – 2

फोन :- 9669932893
फैक्स :-

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,बिलासपुर, छ.ग.

क्रमांक / 2407 / अनुदान / मान्यता / 2017–18 बिलासपुर, दिनांक 7.4.18

प्रति

प्रबंधक जी,

स्व. हरभजनसिंह चावला स्मृति सेवा संस्थान रयालखंड
जिला–बिलासपुर, छ.ग.

विषय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18 के प्रयोजनों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.1.18 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के उपरान्त मैं केरियर पाइंट वर्ल्ड स्कूल ...... (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 17.1.18 से 17.1.21 तक 3 वर्षो की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8वीं के पश्चात् मान्यता / संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या सरंक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अधयधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उनके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं जायेगा।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गय अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निशक्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) में अधीन यथा अधिकथित . न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है। पांच वर्ष अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ अर्जित करेगें।

(छ) अध्यापक अधिनियम के धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगें।

(ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- कुल निर्माण का क्षेत्रफल
- खेल का मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधान पाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार हेतु कक्ष
- बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
- बाधारहित पहुंचे
- अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकुद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उनके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलो का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जावेगा।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक,वैयाक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखों की किसी चार्ट एकाउन्टन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण,नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक......737......है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा। जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता प्राप्त संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण ,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

CHAIRMAN
CAREER POINT WORLD SCHOOL
BESIDE RADHA SOAMI SATSANG BEAS
DHEKA- MASTURI ROAD, BILASPUR (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ.ग.

Principal
CAREER POINT WORLD SCHOOL
BESIDE RADHA SOAMI SATSANG
DHEKA, MASTURI ROAD
BILASPUR (C.G.)

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)

"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD. /SPEED POST

No. CBSE/AFF/3330209(SS-00912-1516)/2015 / 910295 **Dated:** 31 **.07.2015**

The Manager
Career Point World School
Beside Radha Soami Satsang Beas
Dheka- Masturi, Distt- Bilaspur
Chhattisgarh-495 001

Sub: Fresh Composite Provisional Affiliation upto Senior Secondary level to the above said school under switch over category.

Sir/Madam,

With reference to your online application dated 27.06.2014 on the subject cited above, I am directed to convey the sanction for **Composite Provisional Affiliation for Secondary School Examination** and **Senior Secondary School Certificate Examination under Switch Over Category** of the Board for a period of three years w.e.f. **01.04.2015** to **31.03.2018**. The following subjects have been sanctioned to be introduced at Senior Secondary classes :-

(a) **Languages:-** English Core, English Elective, Hindi Core, Hindi Elective, Sanskrit Elective

(b) **Elective Subjects:** Physics, Chemistry, Biology, Accountancy, Business Studies, Economics, Physical Education, Informatics Practices, Mathematics, Computer Science

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The affiliation Code Number allotted to your school is 3330209. This may please be noted and quoted for any further correspondence with the Board.
2. The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE and text books publishing by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
3. **The school will implement Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) as per the schemes of the Board upto Classes X. As per the newly implemented CCE scheme vide Circular No. 39/20-09-2009 dated 20.09.2009, the students of class X will appear in the Summative Assessment-II (SA-II) conducted at the school level only. However, those students of class X, who opt to move out from CBSE system in Class XI to any other Board, will exercise the option to appear in the SA-II conducted at the Board level. Both the students will get the same certificate issued by the Board at the end of class X.**
4. **It is the case of switch over from State Board; the school is required to withdraw its affiliation from State Board as dual affiliation is not permissible. Also State Board classes IX and XI will not be continued w.e.f. 01.04.2015. However, for the Class X and XII Examination to be held in the year 2016, the school will sponsor its students for State Board only.**
5. The school will provide additional suitable facilities for classes XI and XII, as per requirements laid down in the rules.
6. It will increase the number of equipments in the Laboratories/Workshops with adequate games facilities etc. in consonance with the requirements of the Board for Classes XI & XII.
7. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt from time to time.

Contd.2/......